



CERTIFICATE



क्रमांक/CERT10148/2020/NOCR2210018

दिनांक : 29-03-2021

It is hereby certified that the Recognition of School THE ROYAL HERITAGE PUBLIC SCHOOL, situated at RANI DURGAWATI SAMADHI ROAD, BARHA, JABALPUR, District JABALPUR in the state of Madhya Pradesh bearing UDISE Code No. 23390105503 is hereby extended, for the purpose of Affiliation with the for Renew till 2024-25 under the MP State Recognition Rule (मान्यता नियम) 2017 on following terms and conditions -

1. School should admit students only up to the level for which recognition is granted. If School is found violating rules then Department is viable to take any action, including Cancellation of Recognition of School.
2. Latest Recognition Certificate of School should be displayed in School Notice Board and Principal Room.
3. School Principal/Director and Teachers are not allowed to associate with any Political groups Also, school should not allow their students to participate in any political activities during school hours.
4. School has to safely keep and maintain all accounts and records of students and staff, the same can be inspected by the departmental officials any time.
5. "Parent-Teacher Association" should be formed to ensure participation of parents of students studying in the school.
6. The school should strive for making continuous efforts to get best academic quality criteria. During each three year period, all teachers should be trained at least once in their respective teaching subjects.
7. Once approved, after due inspection, the Society/Trust will not change any of the parameters claimed at the time of recognition. School Education Department officials can inspect school premises at any time. During inspection, if Society/Trust is found not following declared standards, then Divisional Joint Director can act as given in sub-rule (1) of rule 11, and can suspend school's accreditation.
8. If School is not found to follow conditions and responsibilities given under Rule 5 and 9 as well as instructions and guidance issued by Department from time to time, the undersigned will have the power to suspend the school's recognition on the basis of investigation.
9. In case of any Explanation Call, if the reply received from Society/Trust is not found to be satisfactory, then after giving last hearing opportunity, the school's recognition can be canceled.
10. Upon withdrawal of recognition, Security Fee deposited will be fully or partly, as specified in the order, will be seized.
11. It will be mandatory to get affiliation with the Central Board Secondary Education, and follow all norms as given in Affiliation Bye-Laws.
12. In case of any dispute, the jurisdiction of the Court shall be at Bhopal.
13. School should strictly follow Fee Regulation Act published by School Education Department, Govt. of MP - मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियम) अधिनियम - क्र. एफ-37-4-2017-20-3) published as on 26 June, 2018.

Signature valid

Digitally Signed By RAJESH T. WARI (BHOPL)

Date : 30-Mar-2021 12:09:56 IST

संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण,
मध्यप्रदेश

जोड़ निम्न संख्याओं में

क्रमांक/विधा/टी/ /2006-07/ 794

मौजाम, दिनांक 2/6/06

जिला शिक्षा अधिकारी,
जिला-~~...~~
मधुबनी

विषय:-

आ. शिक्षा संस्था- ~~...~~ मधुबनी का एच.बी.एस.ई. अनापत्ति याचक ।

संदर्भ:-

जिला शिक्षा अधिकारी-~~...~~ मधुबनी का पत्र क्रमांक
...../ /06, ~~...~~ दिनांक

-00-

जिला शिक्षा अधिकारी, ~~...~~ मधुबनी द्वारा अनापत्ति
विषय संस्था-~~...~~ का
प्रस्ताव श्री. बी.बी.एस.ई. अनापत्ति हेतु उस कार्यालय को भेजा गया है । प्रस्ताव का प्रस्ताव
करने पर तत्पक्ष निम्नानुसार प्रतिक्रिया प्रकट कर रहे हैं :-

01/ जिला शिक्षा अधिकारी के पास एक संस्था का एक संस्था में भवन का निर्माण किया जाये । प्रस्तावकर्ता द्वारा जमीन पर एक संस्था का
भवन है । ऐसे भवन में भवन का 25 लाख से अधिक है । भवन एक संस्था के लिए नहीं
होनी चाहिए तथा जो पर उसका भवन हो और भवन की संतुष्टि के लिए आर्थिक
व स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने और केन्द्र का आयोजन करने के लिए अन्य संस्था/
संस्थाओं द्वारा सहायता का व्यय हो । परंतु केन्द्र में इसे एक संस्था के रूप में
जोका का पत्र का है उस 20 वर्ष की अवधि के लिए आर्थिक संबंधी सहायता प्राप्त
करना दिखे जाये

02/ यदि संस्था शिक्षा में जो भी है वह प्राप्त की है और यह संस्था भवन
का निर्माण करने है तब भी जो भी है वह भवन का एक संस्था के रूप में
का एक संस्था कार्य में सहायता प्राप्त करने के लिए भवन का एक संस्था को
दिये जाने भवन में जो भी सहायता प्राप्त करने के लिए भवन को भवन में
भवन के भवन भवन के निर्माण तक जारी रखा जाये ऐसे मामलों में विधान के भवन के
भवन के निर्माण में सहायता प्राप्त करने के प्रमाण स्वस्थ सहायता में भवन को भवन में

जो ~~...~~ शिक्षा अधिकारी द्वारा भवन का है जो भवन उस पर सहायता
निरंतर-2-

व अधिकार नहीं होना चाहिए। जहाँ की सूची बना जाये जिसमें उनके प्रति उत्तरदायक शिक्षक योग्यताएं और अध्यापकता की ओर से जारी एक प्रत्येक बना जाये जिसमें यह उल्लेख किया गये हो कि संस्थाओं का एक दूसरे के साथ संबंध है 'अथवा' का संबंध नहीं है इस आशय का प्रत्येक प्रमाणित गैरसरकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।

04/ विद्यालय के माते गणित के अभिनवों के भाग 199 में दिये गये बोर्ड के मानक के अनुसार सुयोग्य हटाफ होना चाहिए। ~~सिखाने के लिए~~

05/ विद्यार्थी अपने हटाफ को राज्य सरकार के विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों के मुख्य वेतनमान व राज्य भत्ते तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमान व अन्य भत्ते राज्य सरकार के विद्यालयों के अध्यापकों के मुख्य वेतन से कम नहीं दे। विद्यार्थी के साथ केन्द्रिय विद्यालय संकायों के वेतनमान दिये जाये। ~~इन्होंने~~ ~~जो~~ ~~जानकारी~~ ~~के~~ ~~उनके~~ ~~नाम~~ ~~के~~ ~~समस्त~~ ~~अंकित~~ ~~कर~~ ~~संलग्न~~ ~~करे~~ ~~संस्था~~ ~~के~~ ~~भाग~~ ~~को~~ ~~आवश्यक~~ ~~विवरण~~ ~~31-01-2006~~ ~~द्वारा~~ ~~निर्धारित~~ ~~अवसर~~।

06/ प्रदेश में शिक्षा का जो संस्कार स्थापित हो चुका है। उनका लाभ प्रदेश के छात्रों एवं माध्यमिक शिक्षा संकाय को प्राप्त होना चाहिए। उनका लाभ प्रदेश के छात्रों एवं माध्यमिक शिक्षा संकाय को प्राप्त होना चाहिए।

07/ विभिन्न संस्थाओं पर छात्रों के आयोजित होने वाले सांस्कृतिक एवं खेल कार्यक्रम तथा अन्य विषयों को प्रतिस्पर्धी के लिए होना चाहिए। उनका लाभ प्रदेश के छात्रों एवं माध्यमिक शिक्षा संकाय को प्राप्त होना चाहिए।

08/ इन संस्थाओं के संकाय में अभियन्ताओं की नियुक्ति प्राप्त होने पर विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को संस्था का निरीक्षण/जांच करने का अधिकार होगा।

09/ केन्द्रिय माध्यमिक शिक्षा संकाय या अन्य बोर्ड-री संस्था भित्ति के अंतराल में माध्यमिक राज्य शासन व लोक शिक्षा संकायों द्वारा समय-समय पर शिक्षा के प्रबंध एवं विकास के संबंध में जारी विज्ञापनों को जानने के लिए संस्था बाध्य होगी। बाजार करने का परामर्श संस्था से प्राप्त किया जाएगा।

10/ संस्था के प्रबंधन में अभियन्ताओं द्वारा शिक्षा विभाग का एक प्रतिनिधि को नियुक्ति सविधि में अभिलेखित करना अनिवार्य होगा।

11/ प्रदेश के जो आयोगों/संस्थाओं/आयोगों/विभागों का आयोजन आदि में सहयोग एवं सार्थक भूमिका प्रदान करेंगे।

५/ समाज के विभिन्न तबूतों में धृष्ट एवं पैतृक उत्पन्न करने का प्रयास

८- प्रांति पूर्ण वैश्विक तारों में व्यवधान आने से हरे संस्था की प्रांति संप्रति विभाजित है ।

7- संस्था से कार्य में आचरण करने वाली पार्टी है जो शासन के राह में आने वाला है ।

19/

23✓

21/

24

पुस्तकालय नं. ५ शिवपुर
३०७०

2023/01/11/21/ 14/01/2023/2023-07/

भोजन, दिवांठ

उत्तर:-

प्रत्यक्ष, अंगितव्या

शिक्षा..... म.प्र. जी वीर सुनार एवं आवश्यकता अनुसार

५. अथ विष्णुः ।

सूत्र: आयुक्त लोक विभाग
गणेश ...

लोक शिक्षण संचालनालय

मुंबई प्रदेश

अधीन / दिनांक / संख्या / ई / 2005 / 1124

संघालिपि सं. 12 / 105 / 2005

// विभागीय आदेश //

लोक शिक्षण शासन स्कूल शिक्षा विभाग के ज्ञान कमांक/एफ/ 13/81/20-05/97 दिनांक 06/12/2004 के अनुक्रम में वर्ष 2005-07 की अनुमति हेतु निर्धारित राशियां द्वारा आवंटन किया गया था। अनुसूचित लोक शिक्षण द्वारा जारी किये गए आदेश के विरुद्ध संस्था द्वारा लोक शासन शासन के आदेशों के अनुक्रम में जी मबी डीपील पर विचार करने हुए राज्य शासन द्वारा निर्धारित संस्थाओं को हाईस्कूल/हायर सेकेंड्री कक्षाएं प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करने पर निर्णय लिया गया है। अतः निर्धारित संस्थाओं को सत्र 2005-06 में 09 वीं तथा सत्र 2006-07 में 10 वीं शिक्षण संस्थाओं को हाईस्कूल की अनुमति दी गई है। अतः सत्र 2005-2006 में 11 वीं तथा सत्र 2006-07 में 12 वीं शिक्षण संस्थाओं को हायर सेकेंड्री की अनुमति दी गई है। की संस्थाएं प्रारंभ करने की सशर्त उम्मीद विभागीय अनुमति प्रदान की जाती है :-

सं.क्र.	संस्था का नाम	कक्षा
01	स्कूल गवर्नर स्कूल महोदय जी गेट लक्ष्मी नवियर	हायर सेकेंड्री
02	सेर मैट्रिक स्कूल सिमरिया टैकरी डगर फालियर	हाईस्कूल
03	एग्रीगेट मैट्रिक स्कूल गांधी बालीनी सिन्धुरी	हाईस्कूल
04	श्रीकृष्ण आदर्श ज. मा. वि. लक्ष्मी मुहल्ल निवाडी जिल्ला टैकमगट	हाईस्कूल
05	स्काय हाउस अकादमी सल्लपुर वेतमा इन्दौर	हाईस्कूल
06	सेवा पैटल मानसंगी स्कूल सल्लपुर कोठी सिमरिया रोड	हाईस्कूल
07	स्कूल देव दीनदयाल पुष्पा आनन्द नगर छपड़वा	हाईस्कूल
08	द इंग्लिश पब्लिक इंटरिज स्कूल बसरा रानी दुर्गावती सभासे रोड सल्लपुर	हाईस्कूल
09	लॉरेट पब्लिक स्कूल जगन्निगा खुर्द इन्दौर	हाईस्कूल
10	श्री मा. हाईस्कूल नारा कालोमी हाउसिंग बोर्ड लोहागावा	हाईस्कूल
11	सरस्वती शिशु मंदिर कालीबाडी मुखार गज ततना	हाईस्कूल
12	सरस्वती शिशु/विवा मंदिर निवस गिला मण्डल	हाईस्कूल
13	के एस डी ब्रान्चेट नया इन्दिरा नगर चार शहर का नया लीला मण्डी जिला फालियर	हायर सेकेंड्री
14	विजयनंद ज्योति सरस्वती माध्यमिक कन्या शिक्षा संस्था श्रीकृष्ण प्रणगी मंदिर मरियार सल्लपुर	हाईस्कूल
15	श्रीलिंग लिंग इंग्लिश स्कूल महोबा रोड छारपुर	हायर सेकेंड्री
16	श्री मा. पब्लिक स्कूल छोटी बजरीया गुलीबा रोड बीना नगर	हाईस्कूल
17	समाचार हाईस्कूल बहोज कालोमी लोहागावा देवात	हायर सेकेंड्री
18	सक्ति मिट्टापीठ नाम ज्योति तलसरदारपुर जिला धार	हाईस्कूल
19	मुख्य पब्लिक स्कूल 11 12 मंगलिकी हाउसिंग सल्लपुर कोठी लोहा रोड मोथाल	हाईस्कूल
20	आनंद पब्लिक स्कूल सी 128 बोलार रोड मोथाल	हाईस्कूल
21	आनंद शिक्षा निदेश 104 लोहा नगर बेलरा कला मोथाल	हाईस्कूल
22	सी एन साइन पब्लिक स्कूल सी 128 सी रोड सल्लपुर	हाईस्कूल
23	हाउसिंग विद्या निदेश हाईस्कूल बड़े पोस्ट अफिर के पास दलिया	हायर सेकेंड्री
24	प्रताप पब्लिक स्कूल इन्दौर अलगवावा रोड धार	हायर सेकेंड्री
25	द ओरिएन्टल अकादमी किला कुरवाई जिला इन्दौर	हाईस्कूल
26	लोक शिक्षण ब्रान्चेट हायर सेकेंड्री स्कूल 17 आनंद नगर बाईपास रोड मोथाल	हाईस्कूल

27	बाम गेट हार्डस्कूल स्टेडीयम के पेटे नौगाव जिला इतरपुर	हार्डस्कूल
28	हुमरपुरी बस मंदिर पटोरा टोला जिला अनुपपुर	हार्डस्कूल
29	रोड ग्राम्स कान्हेट स्कूल बनोयरा प्रेमनगर उज्जैन	हार्डस्कूल
30	रधाणी निवेकानंद विद्या निकेतन राजपुर परकोला मोरला सुशबाई नर्मदा जिला राउपुर जिला बड़वनी	हार्डस्कूल
31	सेंट मरियर टेरेसा स्कूल गौरी चौक सेंटी जवलापुर	हार्डस्कूल
32	सारस्वती शिशु मंदिर वननोद जिला देवास	हार्डस्कूल
33	सारस्वती शिशु/विद्या मंदिर सारस्वती नगर राउपुर रोड मरौटा जिला नंदराौर	हार्डस्कूल
नोट- संस्था को रजिस्ट्रार द्वारा पंजीकृत किए गए नामों की स्पष्ट, सुव्यवस्थित एवं प्रमाणित प्रति दिनांक 11-10-06 तक सचिवतालय में अनिवार्यता जमा करना होगी।		
34	श्रीलक्ष्मी स्कूल जी-3/508 गुलाबगढ़ जालोनी गोपाल	हायर सेके

2. संस्था को मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 06/11/2006 में वर्णित विनियमित शर्तों तथा मापदंडों का पालन करना आवश्यक होगा-
- 2.20 शहरी क्षेत्र में होने पर छात्र एकड़ तथा ग्रामीण क्षेत्र होने पर दो एकड़ भूमि संस्था/समिति को नया एक क्वार्टर की समभावता में करना आवश्यक होगा।
- 2.21 संस्था द्वारा छात्र तथा शिक्षक भोजन की व्यवस्था की जाएगी।
- 2.22 छात्र/छात्राओं तथा स्टाफ के लिए पृथक-पृथक शौचालय की व्यवस्था की जाएगी।
- 2.23 प्रत्येक कक्षा/सेंटर में कम से कम 15 एवं अधिकतम 45 छात्र रहेंगे।
- 2.24 प्रति छात्र कक्षा में पुस्तकों के अतिरिक्त 03 गोपित पुस्तकें की व्यवस्था की जाएगी।
- 2.25 हार्डस्कूल होने की स्थिति में कम से कम एक प्रशिक्षित शिक्षक पदस्थापित किए जाएंगे तथा लघु संघेच्छी में प्रत्येक विषय का एक व्याख्याता हो। व्यवस्था इस प्रकार की हो कि प्रति दो सत्रों पर 03 व्याख्याता/शिक्षक उपलब्ध हो सकें।
- 2.26 प्रति छात्र छात्रा क्वार्टर का अनुमानित शेषकल सुनिश्चित किया जाएगा।
- 2.27 माध्यमिक गोपितशिक्षण तथा खेल मैदान के लिए पृथक से स्थान निर्धारित किया जावे।
- 2.28 संस्था में प्रचलित राजस्व शासन द्वारा निश्चित माध्यमिक एवं माध्यमिक स्तर की पढाई करने वाले छात्रों के रूप से बरती जा सकें।
- 2.29 संस्था द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही का अनुसार निर्दिष्ट भूमि पर ही भवन निर्माण कार्य संचालित में किया जावे।
- 2.30 राष्ट्रीय परीक्षा मण्डल एवं अन्य राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी में निर्धारितानुसार उपस्थित करना होगी।
- 2.31 विभाग के संस्था अधिकारी द्वारा अधिकांश किसी अधिकारी/निरीक्षण दल का शासन के पूर्व अभिलेख उपलब्ध कराने जावे।
- 2.32 संस्था को स्वयं के ताल पर निर्धारित योग्यताओं स्टाफ की व्यवस्था करना होगी। इस हेतु स्वयं समिति में स्कूल शिक्षा विभाग का प्रतिनिधि स्थापित करना आवश्यक होगा। किसी कक्षा में छात्रों की अधिक संख्या होने की स्थिति में छात्रों को भर्ती कर लिया जावे।
- 2.33 विभागाध्यक्ष भवन निर्माण की कार्यवाही में व्यवस्था रूप से तैयार कर समझौते में केवल-व्यय सुनिश्चित किया जावे।
3. विभागाध्यक्ष अनुमति प्रमाण करने हेतु समिति द्वारा दिये गये समय पर से तालमेलित शर्तों एवं मापदंडों के अनुसार दो बर्ष जनकारी तृतीय वर्ष में विद्यालय स्थापित कर लिया जावे पर संस्था की विभागाध्यक्ष अनुमति स्थापित करने के साथ-साथ संस्था को विस्तृत वित्तिय जानकारी को जावेगी।
4. संस्था को विभागाध्यक्ष द्वारा 10 वीं/12 वीं हेतु माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश शासन से भर्ती प्राप्त करनी होगी।

5. अग्नि दुर्घटना हेतु बनाये गये नगरीय कल्याण विभाग के विधियों का पालन शासक यंत्रों के निर्वाह हेतु सुनिश्चित किया जाये।
6. शालेय छात्रों को स्कूल से जाने एवं घर पहुँचाने वाले प्रत्येक वाहनों को शारीरिक दृष्टि से अनुबन्ध करते समय अनिवार्य रूप से यह जर्त रखी जाये कि घरेलू एलपीजी गैस से वाहन संचालित नहीं किये जायेंगे।
7. विभागीय शर्तों की पूर्ति समयबद्धि में न होने पर विभागीय अनुमति समाप्त हो जायेगी।


सहायक संचालक

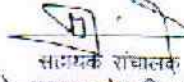
कृते-आयुक्त, लोक शिक्षण म.प्र.

पृष्ठसंख्या/वि.अ./मन्त्रालय/ई/2005/1125

भाषा/दिनांक 12/08/2005

प्रतिलिपि:-

1. निल सचिव नगरीय मंत्रीजी स्कूल शिक्षा नवप्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, नवप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय नेपाल।
3. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल नेपाल।
4. जिला शिक्षा अधिकारी संबंधित जिला।
5. संबंधित अशासकीय संस्था को और सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


सहायक संचालक

कृते-आयुक्त, लोक शिक्षण म.प्र.